लोक सभा अतारांकित प्रश्नऔ संख्यार्40 14 मार्च, 2016 को उत्तकर के लिए

इस्पात उत्पादों के लिए वितरकों का कोटा

2740. श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय के अधीन उत्पादित उत्पादों के लिए वितरकों का कोटा कार्यान्वित किया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए आरक्षण प्रणाली है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या वितरक कोटे को पूर्ण रूप से भर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या सरकार द्वारा इसमें आरक्षित कोटे को भरने के लिए कोई विशेष उपबंध किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तघर

इस्पाततऔर खान राज्यबमंत्री

(श्री विष्णुक्देव साय)

(क) से (घ): इस्पाबत एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। सरकार द्वारा इस्पारत उत्पाुदों के लिए कोई वितरक कोटा कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। तथापि , सरकार ने लोहा और इस्पांत सामग्री का प्रमुख उत्पा दकों से लेकर छोटे पैमाने के औद्योगिक यूनिटों तक आबंटन करने के लिए रूट तय करने की एक स्कीम बनाई है। सेल की ग्रामीण डीलरशिप स्कीोम के तहत एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के व्यमक्तियों और विकलांग श्रेणी के व्यिक्तयों (पीडब्यूो□□□डी) को वरीयता प्रदान की जाती है।
